भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2962

गुरूवार, 13 अगस्त, 2026/22 श्रावण, 1948 (शक)

महिलाओं की भागीदारी को सुदृढ़ करना

2962. श्री विनोद श्रीधर तावड़े:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) के रूझानों सहित महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी पर हाल के श्रम और सामाजिक सुरक्षा सुधारों के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) क्या श्रम संहिताओं के अंतर्गत सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि पारी सहित महिला नियोजन को सक्षम बनाने वाले प्रावधानों को राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा लागू किया गया है;

(ग) समान पारिश्रमिक, मातृत्व लाभ, क्रेच सुविधाओं, पीओएसएच प्रावधानों और लैंगिक उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक (शी)-बॉक्स पोर्टल के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार विशेष रूप से आकांक्षी जिलों में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी बढ़ाने हेतु कौशल विकास और रोजगार पहलों को सुदृढ़ करने का विचार रखती है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): भारत में रोजगार और बेरोज़गारी के आधिकारिक अनुमानों को आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से प्राप्त किया जाता है जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से किया जा रहा है। पीएलएफएस की कार्यप्रणाली में जनवरी 2025 से संशोधन किया गया था। पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट, 2025 संशोधित श्रृंखला की पहली रिपोर्ट है जिसमें जनवरी से दिसंबर 2025 की अवधि के श्रम बाज़ार संबंधी अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) वर्ष 2022 में 33.9% से बढ़कर वर्ष 2025 में 40.0% हो गई है; महिलाओं के रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2022

में 32.8% से बढ़कर वर्ष 2025 में 38.8% हो गया है, जबकि अनुमानित महिला बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2022 में 3.3% से घटकर वर्ष 2025 में 3.1% हो गई है।

दिनांक 21 नवंबर 2025 से चार श्रम संहिताओं- वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 को लागू कर दिया गया है, जिसमें 29 पूर्ववर्ती श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाया गया है। इन श्रम संहिताओं में महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रावधान हैं जैसे:-

(i) कार्यस्थल विवादों के समाधान में महिलाओं की राय को शामिल करने के लिए शिकायत निवारण समिति में उनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व।
(ii) 26 सप्ताह तक का सवैतनिक मातृत्व अवकाश, साथ ही गोद लेने वाली और कमीशनिंग माताओं के लिए 12 सप्ताह तथा मातृत्व अवकाश के बाद जहां संभव हो वहां रिमोट कार्य की अनुमति देना।
(iii) समान या समकक्ष कार्य के लिए वेतन और रोजगार की शर्तों के मामले में लिंग आधारित भेदभाव का निषेध।
(iv) कामकाजी माताओं को काम और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने में मदद करने के लिए छह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा को बढ़ावा देना।

इसके अलावा, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 महिलाओं को सभी संस्थानों में सभी तरह के कार्यों के लिए काम करने की अनुमति प्रदान करती है। महिलाओं को उनकी सहमति से, सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद भी काम पर रखा जा सकता है, बशर्ते सुरक्षा, कार्य अवधि, छुट्टियों और सुरक्षा से जुड़ी अन्य शर्तों का पालन किया जाए। यह संहिता यह भी सुनिश्चित करती है कि संस्थानों को किसी भी खतरनाक या जोखिम भरे काम में महिलाओं को तैनात करने से पहले पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने होंगे।

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म "शी-बॉक्स पोर्टल" शुरू किया है, जिसमें 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' (यौन उत्पीड़न अधिनियम) के विभिन्न प्रावधान शामिल हैं।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) के साथ-साथ समग्र एलएफपीआर को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), स्टैंड-अप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), विज्ञान और इंजीनियरिंग

में महिलाएं-किरण (डब्ल्यूआईएसई-किरण), एसईआरबी-पावर (अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना), मिशन शक्ति, नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना आदि कार्यान्वित कर रही है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, सरकार विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) तथा देश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों आदि के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः-कौशल (रि-स्किल) और उन्नत-कौशल (अप-स्किल) प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) भी लागू कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना तथा उन्हें उद्योग-संबंधित कौशलों से सुसज्जित करना है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगारपरकता के लिए आईटी कर्मियों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है।

इसके अलावा, सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

इसके अतिरिक्त, सरकार, महिला कामगारों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से भी उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 में भी ऐसे प्रावधान किए हैं, जिसके तहत कंपनियों के लिए कम-से-कम एक महिला निदेशक नियुक्त करना अनिवार्य किया गया है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बजट (2024-25) में उद्योग जगत के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास (वर्किंग वूमेन हॉस्टल) स्थापित करने तथा कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्रेच स्थापित करने की घोषणा की गई है।

सरकार ने "नव्या" (युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण) भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को मुख्य रूप से गैर-पारंपरिक और नई प्रकार की नौकरियों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।
